भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2455
11 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आरआरटीएस कॉरिडोर पर ध्वनि अवरोधक

2455 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (वर्ष 2024-25) में की गयी सिफारिशों के अनुपालन में, रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर पर ध्वनि अवरोधक लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो लगाए गए ध्वनि अवरोधकों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह ध्वनिरोधी तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है या अन्य देशों से आयात की गई है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने सूचित किया है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, ध्वनि स्तर अनुमेय स्तर के भीतर है और इसलिए, दिल्ली-मेरठ नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के परिचालन खंड में किसी ध्वनि अवरोधक की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****